बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,

* सुरेश कुमार शर्मा

मो० ~~9431818346~~/9431479774

महासचिव,

* सुशील कुमार

मो० 9431091417

उपाधयक्ष :– * सआदत हसन मिन्टो

* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिवः – * राजयनन्द वार्डियार

* अनिल कुमार

कोषाधयक्षः – * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाधयक्षः – * विनोद आनन्द

सत्यमेव जयते

पत्रांक 08 दिनांक 16-3-2015

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार।

विषय :– बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रतिनिधिमंडल को भवदीय से वार्त्ता हेतु समय निर्धारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संघ का प्रतिनिधि मंडल भवदीय से वार्त्ता करना चाहता है।

भवदीय से विनम्र निवेदन है कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से संघ को वार्त्ता हेतु अपना बहुमूल्य समय देने की महती कृपा की जाए।

वार्त्ता के बिन्दु :–

(1) <u>प्रोन्नति अवरूद्व होने के संबंध में</u> :–

समादेशवाद संख्या–19114/2012 में माननीय उच्च न्यायालय आदेश दि0–05.08.2014 में आदेश "Operation of Resolution Annexure-13 (सामान्य प्रशासन का ज्ञापांक–11635 दिनांक 21.08.12) अनु0 जाति/जनजाति को परिणामी वरियता के साथ प्रोन्नति) Shall remain stayed" परन्तु सामान्य प्रशासन द्वारा प्रोन्नति समिति की बैठक पर ही रोक लगा दी गई है। इससे पदाधिकारी में काफी असंतोष है। इसका समाधान करने की आवश्यकता है ताकि प्रोन्नति हो सके।

(2) <u>गैर संवर्गीय पद/प्रोन्नति सुरक्षित पद पर प्रोन्नति देने हेतु BAS Rule के संबंध में</u> :–

बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन दिनांक 01.04.2010 को होने के उपरोन्त स्वीकृत बल 851 के विरूद्ध पदाधिकारियों की संख्या लगभग 1600 थी। वर्त्तमान में पदाधिकारियों की संख्या 1200 है जो स्वीकृत बल से लगभग 350 अतिरिक्त है इसके कारण

मूल कोटि एवं उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों की प्रोन्नति अवरूद्ध हो गई है। मूल कोटि के पदाधिकारियों की सेवा अवधि निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	बैच	नियुक्ति का वर्ष	सेवा अवधि
1	36 बैच	1992	22 वर्ष
2	37 बैच	1993	21 वर्ष
3	38 बैच	1995	19 वर्ष
4	39 बैच	1996	18 वर्ष
5	40 बैच	1997	17 वर्ष
6	41 बैच	1999	15 वर्ष
7	42 बैच	2000	14 वर्ष

इसी प्रकार मात्र एक प्रोन्नति पाये गये पदाधिकारियों की सेवा अवधि विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	बैच	नियुक्ति का वर्ष	सेवा अवधि
1	34 बैच	1989	25 वर्ष
2	35 बैच	1990	24 वर्ष
3	36 बैच	1992	22 वर्ष

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 25–22 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर मात्र एक प्रोन्नति हुई है वही 22 से लेकर 14 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बावजूद एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है। जबकि मूल कोटि से उप सचिव स्तर में प्रोन्नति की कलावधि 5 वर्ष है एवं उप सचिव से अपर समाहर्त्ता स्तर में प्रोन्नति की कलावधि भी 5 वर्ष ही है। ससमय प्रोन्नति नहीं होने से पदाधिकारियों का मनोबल गिरता जा रहा है तथा पदाधिकारियों में काफी असंतोष व्याप्त है।

(3) **PB-2 ग्रेड पे0–5400 से PB-3 ग्रेड पे0–5400 को प्रथम रूपानान्तरित वित्तीय उन्नयन माने जाने के संबंध में** :–

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का प्रथम नियुक्ति PB-2 G.P-5400 में होता है। चार वर्ष की सेवा पूरी करने एवं सेवा सम्पुष्टि होने पर वेतनमान PB-3 G.P-5400 होता है। इस परिवर्त्तन को वित्त विभाग द्वारा प्रथम रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन माना जा रहा है जो न्यायोचित नहीं है। इस परिवर्त्तन में न तो ग्रेड पे में बढ़ोतरी होती है और न ही वेतन में Increment दिया जाता है, जबकि वित्तीय उन्नयन के समय अगला ग्रेड पे प्राप्त होता है तथा उन्नयन की तिथि को वेतन में एक Increment प्रदान होता है।

(4) **जिला पदाधिकारी के पाँच पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का पदस्थापन करने के संबंध में :–**

दिनांक 29.03.1999 एवं पुनः दिनांक 27.10.2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमति राबड़ी देवी की उपस्थिति में यह निर्णय हुआ था कि " जिला पदाधिकारी के पाँच पदों को आई0ए0एस0 के अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी से भरा जाएगा" जिसका अनुपालन कराया जाना अपेक्षित है। कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था लागू है।

(5) **बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा** में अवरूद्ध प्रोन्नति को त्वरित कराने की आवश्यकता है ताकि सेवा के Surplus संख्या में कमी होने के साथ–साथ पदाधिकारियों में संतोष की भावना उत्पन्न हो सके।

(6) **सरकारी सेवा निवृत पदाधिकारियों** के लिये लागू स्वास्थ्य सुविधा को और अधिक प्रभावकारी एवं लाभकारी बनाने की आवश्यकता है।

16/3/15
(सुशील कुमार)
महासचिव

16/3/15
(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष